(41)

संख्या– 502 /XVIII-(2)/12–12(5)/2008

प्रेषक,

डी.एस. गर्ब्याल,
प्रभारी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
चमोली।

आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास

देहरादूनः दिनांक 1 ~~अगस्त~~, 2012

विषयः– वित्तीय वर्ष 2012–13 में तृतीय किस्त के रूप में प्राकृतिक आपदा से प्रभावितों में तत्काल राहत सहायता वितरण हेतु अहेतुक सहायता, गृह अनुदान एवं अनुग्रह अनुदान मद के अंतर्गत धनावंटन किये जाने के संबन्ध।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2012–13 में तृतीय किस्त के रूप में अहेतुक सहायता, गृह अनुदान एवं अनुग्रह अनुदान मद हेतु सम्यक विचारोपरान्त ₹ 50.00 लाख (₹ पचास लाख मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर रखे जाने एवं व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल निम्न शर्तो के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

2– उल्लेखनीय है कि भारत सरकार द्वारा शासनादेश संख्या–32-7/2011-NDM-I, दिनांक 16 जनवरी, 2012 के माध्यम से राज्य आपदा मोचन निधि से धनराशि स्वीकृत/व्यय किये जाने सम्बन्धी मानक पुनरीक्षित कर दिये गये है। जिसकी प्रति आपको पूर्व में ही प्रेषित की जा चुकी है, का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए।

3– अहेतुक सहायता, गृह अनुदान व अनुग्रह अनुदान से सम्बन्धित जिन मदों को राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु पुनरीक्षित/बढ़ाया गया है। उन मदों में राज्य सरकार द्वारा बढ़ायी गई दरों के अनुसार राहत सहायता वितरण सुनिश्चित कराया जायेगा।

4– स्वीकृत धनराशि का उपयोग उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिस प्रयोजन हेतु धनराशि स्वीकृत की गई है। धनराशि का गलत उपयोग होने पर संबन्धित जिलाधिकारी का उत्तरदायित्व होगा।

5– स्वीकृत धनराशि का व्यय राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) के व्यय हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार सुनिश्चित किया जायेगा।

6– प्रभावितों की सम्यक पहिचान (Identity) एवं पुष्टि के बाद ही स्वीकृत राहत सहायता का वितरण किया जाये। राहत सहायता वितरण में किसी प्रकार की अनियमितता एवं दोहराव की स्थिति पाये जाने पर संबन्धित जिलाधिकारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

7– व्यय करते समय बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, मितव्यता के विषय में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों का अनुपालन किया जायेगा।

8– स्वीकृति धनराशि के व्यय हेतु शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

9– स्वीकृत धनराशि का दिनांक 31.03.2013 तक उपयोग कर उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा। स्वीकृत की जा रही धनराशि का कोषागार से

आवश्यकतानुसार ही आहरण किया जाये और यदि उक्त तिथि तक कोई धनराशि अवशेष रहती है तो वह उक्त तिथि तक शासन को समर्पित कर दी जायेगी।

10– अहेतुक सहायता, गृह अनुदान एवं अनुग्रह अनुदान मदों में कोषागार नियम–24 के अंतर्गत धनराशि का तभी आहरण किया जाए, जब जनपद के पास इस मद में कोई धनराशि उपलब्ध न हो एवं धनराशि का तत्काल वितरित किया जाना आवश्यक हो। आहरित धनराशि प्रत्येक दशा में तीन दिन के अन्दर वितरित कर दी जाए।

11– उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 के आय–व्ययक अनुदान संख्या–6 के अंतर्गत लेखा शीर्षक 2245–प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत–05 राज्य आपदा मोचन निधि (90% केन्द्र पोषित)–आयोजनेत्तर–800–अन्य व्यय–00–13–आपदा राहत निधि से व्यय–42–अन्य व्यय के नामें डाला जायेगा।

12– यह आदेश वित्त विभाग के अ.शा. संख्या–78NP/XXVII(5)/12-13, दिनांक 30 अगस्त, 2012 में प्राप्त सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(डी.एस. गर्ब्याल)
प्रभारी सचिव

संख्या–502 (1)/XVIII-(2)/12–12(5)/08 तद्दिनांकित

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड (लेखा एवं हकदारी) ओबैराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी एवं कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल, उत्तराखण्ड।
3– अपर सचिव, वित्त एवं व्यय अनुभाग।
4– कोषाधिकारी, चमोली।
5– निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री कार्यालय।
6– निजी सचिव, मा. मंत्री, आपदा प्रबन्धन, उत्तराखण्ड शासन।
7– प्रभारी अधिकारी, मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8– राज्य सूचना अधिकारी, एन.आई.सी. सचिवालय परिसर, देहरादून।
9– बजट अधिकारी, बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय उत्तराखण्ड।
10–वित्त अनुभाग–5,
11– धन आवंटन संबन्धी पत्रावली।
12– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डी.एस. गर्ब्याल)
प्रभारी सचिव